

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय जाप:-

अशिक्षित भारतीय एकमात्र शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इन्फिन्ट्री, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्वोत्तम विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एकल के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नोट-3 में डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2085	ग्लोबल इंस्टीट्यूट, बिलक-पुनपुर्, पी०-सालीपुरा, बिलकपुर रोड, बरेली।	डिप्लोमा इन कार्मेली	60	60

अम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य विहित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि हेतु रु० 30,150.00/- प्रवेश के वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लक्षा के वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक मात्रा/लक्षा के प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर

16/08/2020 11:14 AM

(Handwritten Signature)


**PRINCIPAL
GLOBAL INSTITUTE
BAREILLY**

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सन्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, डा/प्र० लखनऊ से सन्बद्धता/सन्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक-08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सन्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सन्बद्धता/ पूर्व से संघालित संस्थाओं को सन्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सन्बद्धता/ सन्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सन्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, डा प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सन्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2085-GLOBAL INSTITUTE VILL-PURNAPUR POST-BALIPUR,BISALPUR ROAD BAREILLY-243123

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सन्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सन्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।


PRINCIPAL
GLOBAL INSTITUTE
BAREILLY

कार्यालय,

अधिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9678

लखनऊ दिनांक: 03/10/2022

:-कार्यालय ज्ञापन:-

संयुक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2022-23 हेतु दिल्लीवा मॉडल तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ(प) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदन गई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संयुक्त संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अला सूची पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ(प) लखनऊ द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विभाजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं क्षमता अंकित प्रवेश बनाने हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2085-GLOBAL INSTITUTE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेनेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित एम्ब्रो को ही प्रवेश दिया जायेगा।


PRINCIPAL
GLOBAL INSTITUTE
BAREILLY

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय जाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं धर्मेशीं व्याप्तिल लोक इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक त्त 2023-24 हेतु पूर्व से संघलित विनोदध करीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदित विनोदध प्रदान किले जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उर प्रदेश संखनऊ से संख्यता विनोदध प्रदान किले जाने के संकल्प से हवारा: दिनांक: 25-07-2023 त्त दिनांक: 02-08-2023 को प्रवेश कार्यालय में संख्यता सविधि की वेडक सफल हुई। वेडक में त्त 2023-24 हेतु संघलित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेशीं कार्यालय लोक इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संघ्यताओं को प्रदान अनुमोदित विनोदध त्त संख्यता सविधि प्रदान किले गए त्तिये के अनुकूल से संघ्यताओं को संख्यता विनोदध प्रदान किले जाने का निर्णय लेला गया।

संख्यता संघ्यताओं को वेडक में लेले गए विनोदध के अनुकूल से त्तिये संघ्यताओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उर प्रदेश लखनऊ द्वारा त्त 2023-24 हेतु विनोदधित करने के अधीन प्रदान किले गए संघ्यता संघ्यता संघ्यता हेतु संख्यता विनोदध प्रदान की जाती है -

संख्या का कोड एवं नाम : 2085-GLOBAL INSTITUTE	क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटीआई/ वीएसीआई द्वारा त्त 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा त्त 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
	1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संख्यता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3039/9/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघ्यता संघ्यताओं की लॉक के विरुद्ध नालनीय हवारा/हव में संघ्यता रिट साधिल संख्या 5027/2023 में नालनीय त्तिये संघ्यता के अधीन संघ्यता निर्णय की जाती है।
- ✓ संघ्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेशीं कार्यालय लोक इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेशीं कार्यालय लोक इंडिया, नई दिल्ली के नालक के अनुकूल संघ्यता में संघ्यता संघ्यता (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संघ्यता उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम/घटती 1992, विनियम/घटती-2000, संघ्यता विनियम/घटती-2018 तथा संघ्यता-संघ्यता पर निर्णय शासन/देशीं का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण संघ्यता द्वारा निर्धारित शुल्क ही संघ्यता संघ्यता से प्राप्त किले जायेगा। संघ्यता के अधीन प्रदान/घटती में शुल्क के संघ्यता में संघ्यता-संघ्यता पर शासन द्वारा निर्णय किले जाने वाले शासन/देशीं प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किले जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण संघ्यता द्वारा त्त 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किले जाता है, सो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संघ्यता में संघ्यता प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संघ्यता को संघ्यता संघ्यता पर निर्णय शासन/देशीं का अनुसार निरीक्षण एवं संघ्यता शुल्क जमा करेगा होगा।
- ✓ संघ्यता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विधि/निर्णय/अधिनिर्णय/शासन/देशीं/निर्देशीं एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उर प्रदेश, संघ्यता प्रवेश परीक्षा परिषद, उर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उर प्रदेश द्वारा त्तिये गये निर्णयों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करेगी के त्तिये

PRINCIPAL
GLOBAL INSTITUTE

राष्ट्रव्यवहारी है।

- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी का अखिल अंधा इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था पर होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल अंधा इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टार, साज-सज्जा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-उत्तिथन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिडेंस रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पर्यवेक्षित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के सम्मक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की तत्कालता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बन्ध किया जाता) विनियामावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मान पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखनी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा गणआईपीटीआई/पीटीआई/आईआई/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, GLOBAL INSTITUTE

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

PRINCIPAL
GLOBAL INSTITUTE
BAREILLY